जिला मानव विकास प्रतिवेदन

सवाई माधोपुर

hcm ripa
Since 1957

जिला मानव विकास प्रतिवेदन सवाई माधोपुर

परिचयात्मक विवरण

यह जिला राजस्थान के दक्षिण–पूर्वी भाग में 25°45′ से 26°41′ उत्तरी अक्षांश तथा 75°59′ से 77°00′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। उत्तर में दौसा, पूर्व में करौली, दक्षिण में कोटा व बूँदी जिला, दक्षिण–पूर्व में चम्बल नदी व मध्यप्रदेश का श्योपुर जिला, पश्चिम में टोंक जिला तथा उत्तर–पश्चिम में जयपुर जिले की सीमाएं लगी हुई हैं। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4498.00 वर्ग किलोमीटर है। तापमान 47° से 1.2° सेलसियस के मध्य रहता है। 953.71 वर्ग किलोमीटर का वनक्षेत्र है जो जिले के कुल क्षेत्रफल का 19.06 प्रतिशत है जबकि राजस्थान का औसत वन क्षेत्र 9.54 प्रतिशत है।

जिले में सात तहसीलें– सवाई माधोपुर, खण्डार, चौथ का बरवाड़ा, मलारना डूंगर, बौंली, गंगापुर सिटी तथा बामनवास तथा 5 पंचायत समितियां– सवाई माधोपुर, खण्डार, बौंली, गंगापुर सिटी तथा बामनवास तथा 197 ग्राम पंचायतें हैं। 2011 में जिले की जनसंख्या 13.38 लाख है। जिले का लिंगानुपात 894 है, तथा जनसंख्या घनत्व 297 है। जिले की दशकीय वृद्धिदर 19.79 है। पशुधन में जिले में 1.18 लाख गाय, 2.52 लाख भैंस, 3.59 लाख बकरी, 0.79 लाख भेड़, 0.23 लाख कुककुट, 0.037 लाख ऊँट व 0.12 लाख सूअर हैं।

जल स्त्रोत एवं खनिज

चम्बल, बनास, मोरेल, गम्भीर एवं इनकी सहायक नदियों के अतिरिक्त 19 सिंचाई के बाँध, तथा 36 छोटे बाँध, पंचायत तालाब आदि हैं। वर्ष 2009–10 में कुल खनिज उत्पादन 7,81,463 टन है, जिसमें 1,15,800 टन क्वार्ट्ज, 1,42,710 टन मैसनरी प्रस्तर, 3,91,108 टन कंकड / बजरी तथा 1,39,445 टन मोरम आदि है।

पर्यटन स्थलः

पर्यटन स्थलों में प्रमुख रूप से रणथम्भौर राष्ट्रीय अभयारण्य, रणथम्भौर दुर्ग, त्रिनेत्र

गणेश मन्दिर, काला गौर भैरव मन्दिर, चौथ माता का मन्दिर, चमत्कार जैन मन्दिर, घुश्मेश्वर शिव मन्दिर, रामेश्वर धाम, खण्डहार दुर्ग आदि है। जिले में 50 होटलों में 1,043 कमरों की व्यवस्था हैं, जिनकी शयन क्षमता 2,086 हैं। जिले में सडक मार्ग की कुल लम्बाई 3061.27 किलोमीटर है एवं यहां रेल और वायु यातायात भी उपलब्ध है।

रोजगार के अवसर एवं औद्योगिक विकास

456 उद्यमों में 1,122 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं विनियोग निगम लि. ने खैरदा, रणथम्भौर तथा गंगापुर सिटी में कमशः 193, 41, 192 भूखण्ड काटे हैं जिनमें से कमशः 112, 26 व

36 भूखण्डों में औद्योगिक इकाइयां उत्पादनरत हैं। इनमें तेल, लेथ मशीन, प्लास्टिक का सामान, धातु आधारित सामान, ट्रांसफोर्मर, वाहन तथा सर्विंग इकाइयां हैं। जिले में हाथ करघा, चर्म, लकड़ी के खिलौनें, खस से इत्र, स्टोन कशर, तेल दाल आदि का निर्माण हो रहा है। लगभग दो हजार व्यक्तियों को इनसे रोजगार उपलब्ध हो रहा है। जिले में बैंकों की 86 शाखाएं कार्यरत हैं। पिछडे एवं उपेक्षित वर्गों के स्थायी विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायत राज विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं।

शिक्षा का परिदृश्य

2011 में सवाई माधोपुर जिले की साक्षरता दर 66.19 प्रतिशत है जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 82.72 प्रतिशत एवं महिलाओं की 47.80 प्रतिशत है। जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2,066 हैं जिसमें 1,492 सरकार द्वारा संचालित हैं तथा 574 निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। सात बी.एड महाविद्यालय हैं जिनमें 700 विद्यार्थी शिक्षक बनने की प्रकिया में शामिल हैं। एस.टी.सी. दो हैं जिनमें 100 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है जिसमें 150 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जिले में 27 आई.टी.आई. हैं जिनमें 1,267 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सवाई माधोपुर में 846 आँगनवाडी केन्द्र हैं तथा 6 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय हैं। एक विद्यालय विशेष रूप से गंगापुर सिटी में स्थित है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जिले में 162 मदरसा हैं।

जिले में प्राथमिक स्तर पर नामांकन में कमी आई है, जबकि इसी अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर पर सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लिंगानुपात गैप सर्वाधिक 27 प्रतिशत था, यह पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति में सर्वाधिक है। ज़िले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 13 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 485 विद्यार्थी रहते हैं।

ज़िले में उच्च शिक्षा के लिए 16 संस्थान हैं, जिनमें से 3 राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें 2009–10 में 5,365 छात्र व 2,577 छात्रायें अध्ययनरत थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधाएं

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियां 2005 से संचालित हैं। DLHS 2004 के अनुसार क्रूड जन्म दर 23.2 प्रति हजार, क्रूड मृत्यु दर 7.4 प्रति हजार, शिशु मृत्यु दर 78 प्रति हजार तथा कुल प्रजनन दर 4.4 प्रति हजार है।

सवाई माधोपुर शहर में 200 बिस्तरों का एक ज़िला अस्पताल है। ज़िला अस्पताल रैफरल सेवाओं का एवं विशेषज्ञ सेवाओं का मुख्य केन्द्र है। ज़िले में 4 सामुदायिक केन्द्र, 23 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 228 उपकेन्द्र हैं दो मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र कार्यरत हैं, 86 आयुष डिस्पेंसरी कार्यरत हैं। चिकित्सा केन्द्रों पर लगभग सभी पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं। वर्ष 2010 में ज़िले के राजकीय चिकित्सालयों में कुल 618 शय्याएं उपलब्ध थीं।

लिंगानुपात

मानव विकास सूचकांकों में सवाई माधोपुर ज़िला तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ गया है। राजस्थान में औसतन लिंगानुपात 926 है तो इस ज़िले में मात्र 894 है। 2001 के अनुसार तहसील सवाई माधोपुर में यह 904, खण्डार में 874, बौंली में 905, गंगापुर सिटी में 877 तथा बामनवास में 882 है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में भी 2008–09 में कुल सृजित मानव दिवस 85.11 लाख दिवस थे, जबकि कुल सृजित मानव दिवसों में महिलाओं की भागीदारी मात्र 60.34 प्रतिशत ही थी। ज़िले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2,863 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से उन्होंने 223.75 लाख रूपये की बचत की। इन समूहों ने 283.56 लाख रुपये का ऋण विभिन्न बैंकों से लेकर कार्य किया है, इन समूहों में 30,341 महिलाएं सहभागिता निभा रही हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 1,435 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसमें से 167 स्वयं सहायता समूहों का प्रथम ग्रेडिंग कर रिवॉलविंग फण्ड जारी किया गया है।

मानव विकास की दिशा एवं रणनीतियां

- लिंगानुपात की दृष्टि से खण्डार, गंगापुर सिटी तथा सवाई माधोपुर विकास खण्डों में सुधार की आवश्यकता है।
- हाशिये पर रहे समाज तथा सर्वाधिक वंचित क्षेत्र व व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए।
- सूचना तकनीक का उपयोग बढाया जाएं।
- कृषि कार्यों में बीमा एवं अन्य माध्यमों से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
- बीज प्रतिस्थापन दर एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु अधिकाधिक कृषकों तक पहुंचा जाए।
- महिला साक्षरता दर में वृद्धि हेतु 15 वर्ष की आयु की निरक्षर महिलाओं को साक्षर किया जाए।
- बालिका मित्रवत विद्यालय बनाए जाएं, जिनमें शौचालय, महिला शिक्षा व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएं। 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों का जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएं तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधाएं तथा परिवहन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर तक विशेषज्ञों की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। बच्चों को कुपोषण से बचाने के उपाय और पीने के पानी की गुणवत्ता बनाए रखी जाए।

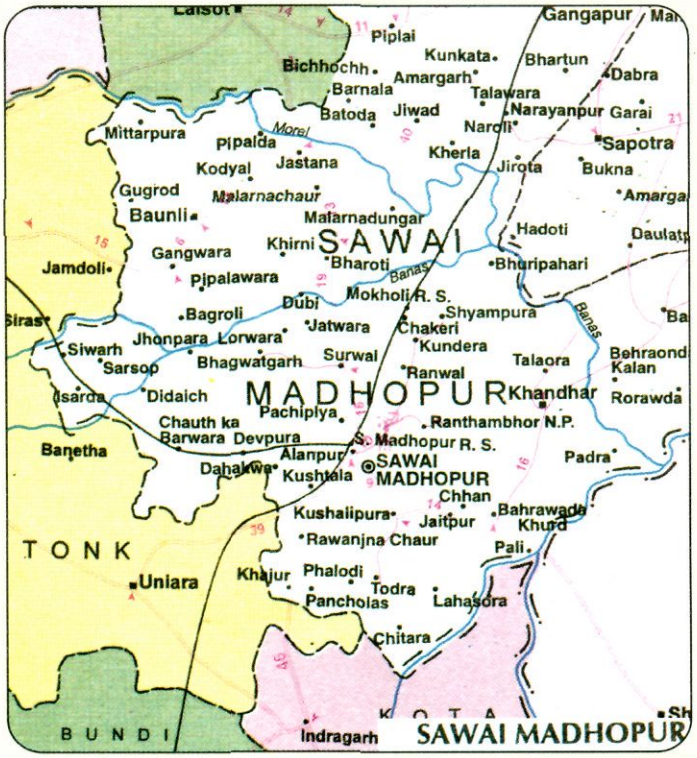

यू. एन. डी. पी.,
भारत सरकार
एवं
आयोजना विभाग
राजस्थान सरकार
जयपुर

सत्यमेव जयते

सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर 302017

design by MERCURY